रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112024-258796
CG-DL-E-21112024-258796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4606] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2024/ कार्तिक 29, 1946
No. 4606] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2024/KARTIKA 29, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2024

का.आ. 4994(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि के लिए, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले तमिलनाडु तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, अर्थात् :--

क्रम सं.	सदस्य	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	सरकार के प्रधान सचिव, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	अध्यक्ष, पदेन ;
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रमुख, वन बल) या वन विभाग का कोई पदधारी, जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से नीचे का न हो।	सदस्य, पदेन ;
3.	निदेशक या आयुक्त, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 807, अन्ना सलाई, चेन्नई-600002	सदस्य, पदेन ;
4.	निदेशक या आयुक्त, मत्स्य पालन विभाग, नन्दनम, चेन्नई-600006	सदस्य, पदेन ;

5.	सदस्य सचिव, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुइंडी, चेन्नई-600032	सदस्य, पदेन ;
6.	सदस्य सचिव, चेन्नई महानगर विकास प्राधिकरण, एग्मोर, चेन्नई-600008	सदस्य, पदेन ;
7.	क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भू-जल बोर्ड, राजाजी भवन, बसंत नगर, चेन्नई-600090	सदस्य, पदेन ;
8.	निदेशक या आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य विभाग, गुइन्डी इंडस्ट्रियल एस्टेट, चेन्नई-600032	सदस्य, पदेन ;
9.	प्रो. डॉ. आर रमेश, राष्ट्रीय विशेषज्ञ एकीकृत तटीय जोन प्रबंधन, जी-20 के लिए एमएसपी, सं.-24, एल ब्लॉक, 26 स्ट्रीट अन्ना नगर ईस्ट, चेन्नई, 600102	विशेषज्ञ सदस्य ;
10.	प्रो. (डॉ.) आर. विद्या, सिविल इंजीनियरिंग आचार्य और निदेशक, सर्वेक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान रिमोट सेंसिंग केंद्र, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई-600025	विशेषत सदस्य ;
11.	डॉ. एल. एलांगो, विजिटिंग फैकल्टी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई-600036	विशेषत सदस्य ;
12.	डॉ. बसंत कुमार जेना, वैज्ञानिक जी, वैज्ञानिक प्रभारी तटीय और पर्यावरण इंजीनियरिंग प्रभाग, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई-600100	विशेषत सदस्य ;
13.	डॉ. एम.वी. रमन्ना मूर्ति निदेशक, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई-600100	विशेषत सदस्य ;
14.	मैसर्स केयर अर्थ ट्रस्ट, सलाहकार डॉ एस. बालाजी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, सं.3, छठी स्ट्रीट, थिल्लै गंगा नगर चेन्नई-600061	सदस्य, गैर-सरकारी संगठन ;
15.	निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पनागल बिल्डिंग, सैदापेट, चेन्नई-600015	सदस्य-सचिव, पदेन ।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में होगा ।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई सदस्यों से होगी ।

4. किसी पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार भत्तों का संदाय किया जाएगा ।

IndiaCode

5. हित के किसी टकराव से बचने के लिए, सदस्य, किसी ऐसी परियोजना, जिसके लिए उन्होंने परामर्श कार्य संबंधी सेवा दी है, के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, प्राधिकरण की बैठक से स्वयं को दूर रखेंगे।

6. प्राधिकरण, तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की संरक्षा और उसका सुधार करने के और तमिलनाडु राज्य के तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने, उसका उपशमन करने तथा नियंत्रण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :--

(i) परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त आवेदन की परीक्षा, यथास्थिति, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ) तारीख 6 जनवरी, 2011 या अधिसूचना सं. सा.का.नि 37(अ) तारीख 18 जनवरी, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अधीन तैयार तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसार करेगा तथा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट, संबद्ध प्राधिकरण को परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगा ;

(ii) उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तटीय विनियमन जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा ;

(iii) उक्त अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन को प्रवृत्त और मानीटर करेगा;

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 4650(अ) तारीख 30 सितंबर, 2022 में यथाविनिर्दिष्ट निदेश जारी करेगा ;

(v) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(vi) उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करेगा;

(vii) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों के वर्गीकरण में और तटीय जोन प्रबंधन योजना में उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों तथा उक्त अधिसूचना के अधीन राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के लिए सिफारिशों की परीक्षा करेगा ; और

(viii) स्वत: प्रेरणा से या इसके समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उक्त अधिसूचना के अनुपालन में असफलता या उल्लंघन के मामलों की जांच और पुनर्विलोकन करेगा।

7. प्राधिकरण, अपने कार्यकरण में, पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और अपने कृत्यों से संबंधित जानकारी इस पर डालेगा, जिसके अंतर्गत उसकी बैठक में कार्यसूची, बैठक का कार्यवृत्त, बैठक में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अनुपालन में असफलता या उल्लंघन पर मामलों के लिए सिफ़ारिशें और ऐसी अनुपालना या उल्लंघन पर की गई कार्रवाई, न्यायालय मामले, जिनमें न्यायालयों के आदेश भी हैं, और तमिलनाडु सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना भी है।

8. प्राधिकरण, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को अपने क्रियाकलापों की रिपोर्टें छह मास में कम से कम एक बार प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. 17011/18/1996-आईए-III(भाग)]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 20th November, 2024.

S.O. 4994(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Tamil Nadu Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:-

SI.No	Members	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	The Principal Secretary to the Govt., Environment, Climate Change & Forest Department, Government of Tamil Nadu, Chennai	Chairperson, *ex officio;*
2.	The Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force) or an official of Forest Department not below the rank of Additional Principal Chief Conservator of Forests	Member, *ex officio;*
3.	Director or Commissioner, Department of Town and Country planning, 807, Anna Salai, Chennai-600002	Member, *ex officio;*
4.	Director or Commissioner, Department of Fisheries, Nandhanam, Chennai-600006.	Member, *ex officio;*
5.	Member Secretary, Tamil Nadu Pollution Control Board, Guindy, Chennai-600032	Member, *ex officio;*
6.	The Member Secretary, Chennai Metropolitan Development Authority, Egmore, Chennai-600008	Member, *ex officio;*
7.	Regional Director, Central Ground Water Board, Rajaji Bhavan, Besant Nagar, Chennai-600090	Member, *ex officio;*
8.	Director or Commissioner, Department of Industries and Commerce, Guindy Industrial Estate, Chennai-600032	Member, *ex officio;*
9.	Prof. Dr. R Ramesh, National Expert Integrated Coastal Zone Management, MSP for G-20, No-24, L Block, 26th Street Anna Nagar East, Chennai, 600102	Expert Member;
10.	Prof. (Dr.) R. Vidhya, Professor in Civil Engineering & Director, Center for Survey Training and Research Institute of Remote Sensing, Anna University, Chennai-600025	Expert Member;
11.	Dr. L. Elango, Visiting Faculty, Indian Institute of Technology Madras, Chennai-600036	Expert Member;
12.	Dr. Basanta Kumar Jena, Scientist G, Scientist incharge Coastal and Environmental Engineering Division,	Expert Member;

IndiaCode

	National Institute of Ocean Technology, Chennai-600100	
13.	Dr. M.V. Ramana Murthy Director, National Centre for Coastal Research, National Institute of Ocean Technology, Chennai-600100	Expert Member;
14.	M/s Care Earth Trust, Represented by the Advisor Dr. S. Balaji No.3, Sixth Street, Thillai Ganga Nagar Chennai-600061	Member,Non - Government Organisation;
15.	The Director, Department of Environment & Climate Change, Panagal Building, Saidapet, Chennai-600015	Member- Secretary, *ex officio.*

2. The Headquarter of the Authority shall be at Chennai, Tamil Nadu.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one- third of the total number of its Members.

4. The member, other than Member, *ex officio*, shall be paid allowances as per the terms and conditions decided by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Members shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered any consultancy service.

6. The Authority shall take following measures for protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Tamil Nadu, namely: -

(i) examine proposals received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan prepared under the notification of the Government of India number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 or, the notification number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification), as the case may be, and make recommendation for approval of project proposal to the authority concerned, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of application;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) enforce and monitor the implementation of provisions of the said notification;

(iv) issue directions under section 5 of the said Act as specified in the notification of the Government of India number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022;

(v) exercise powers under section 10 of the said Act;

(vi) file complaint under section 19 of the said Act;

(vii) examine proposals received from the State Government for modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and making recommendations to the National Coastal Zone Management Authority under the said notification; and

(viii) inquire and review cases of failure of compliance or contravention of the said Act or rules made thereunder or the said notification, suo-*moto* or on the basis of a complaint made by any person before it.

7. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meeting, decision taken in the meeting, recommendation for matters on failure of compliance or contravention of the said notification and action taken on such failure or contravention court matter

including the order of the court, and the approved Coastal Zone Management Plan of the Government of Tamil Nadu.

8. The Authority shall furnish report of its activity at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F.No.17011/18/1996-IA-III(Part)]

RAJAT AGARWA, Jt.Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.11.21 16:16:10 +05'30'